न्यायालय अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर
पीठासीन अधिकारी रतन लाल योगी आर.ए.एस.

सप्लाई विविध प्रकरण संख्या : 02/2023

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
राज्य सरकार जरिये प्रवर्तन अधिकारी जिला रसद कार्यालय, प्रथम जोधपुर		श्री भूपेन्द्र सिंह पुत्र श्री अर्जुनसिंह जाति-राजपुरोहित, निवासी भास्कर चौराहा, रातानाडा, जोधपुर फर्म-लक्ष्मी जोधपुर स्वीट कॉर्नर, भास्कर चौराहा, रातानाडा, जोधपुर

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 6-ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय व वितरण का विनियमन) आदेश 2000

उपस्थितिः –
1. प्रार्थी की ओर से विभागीय पेरोकार श्री मानवेन्द्र, प्रवर्तन निरीक्षक जिला रसद कार्यालय, प्रथम जोधपुर उपस्थित।
2. अप्रार्थी अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक 25.06.2024

प्रार्थी राज्य सरकार जरिये प्रवर्तन अधिकारी, जिला रसद कार्यालय प्रथम जोधपुर की ओर से प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 6-ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित द्रवित पेट्रोलियम गैस (वितरण एवं प्रदाय नियन्त्रण) आदेश 2000 के अन्तर्गत अप्रार्थी श्री भूपेन्द्र सिंह पुत्र श्री अर्जुनसिंह जाति राजपुरोहित निवासी भास्कर चौराहा, रातानाडा जोधपुर फर्म लक्ष्मी जोधपुर स्वीट कॉर्नर, भास्कर चौराहा, रातानाडा जोधपुर के विरूद्ध यह प्रकरण जब्तसुदा 01 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर व 01 घरेलु गैस सिलेण्डर को राज्यसात करने हेतु इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जिसको दिनांक 16.01.2023 को दर्ज किया जाकर पक्षकारों को सुना गया।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 21.12.2022 को जिला प्रवर्तन अधिकारी व प्रवर्तन निरीक्षक कार्यालय जिला रसद अधिकारी प्रथम जोधपुर द्वारा फर्म लक्ष्मी जोधपुर स्वीट कॉर्नर, भास्कर चौराहा, रातानाडा जोधपुर की आकस्मिक जांच करने [illegible] स्थान पर उपस्थित व्यक्ति ने अपना नाम भूपेन्द्र सिंह पुत्र श्री अर्जुनसिंह बताया। [illegible] प्रतिष्ठान पर मौके पर एच.पी. का 01 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर एवं 01 घरेलु गैस सिलेण्डर पाए गये

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Lal Yogi
Date: 2024.08.29 16:07:36 IST
Reason: SelfAttested

जिनका उपयोग भट्टी पर लगाकर व्यावसायिक कार्य हेतु किया जा रहा था। उक्त सिलेण्डरों के संबंध में मौके पर प्रतिष्ठान संचालक द्वारा कोई भी दस्तावेज तथा गैस कनेक्शन संबंधी डायरी प्रस्तुत नहीं की गई जिसका विवरण इस प्रकार है:-

क्र. स.	गैस कम्पनी का नाम	एस.आर.नम्बर	सिलेण्डर का वजन	कुल वजन	गैस का वजन (किलो में)
1.	एच.पी.	010009T	19.0 कि.ग्रा.	19.8 कि.ग्रा.	0.800 कि.ग्रा.
2.	एच.पी.	012977T	15.5 कि.ग्रा.	15.5 कि.ग्रा.	0.000 कि.ग्रा.

उक्त 02 गैस सिलेण्डरों को जब्त सरकार किया जाकर प्रतिनिधि वीर शिव गैस सर्विस, रातानाडा के मैनेजर श्री मोहनसिंह पुत्र विरेन्द्रसिंह को सुपुर्द किया गया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा मौके पर उक्त 01 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर एवं 01 घरेलु गैस सिलेण्डर का बिना कनेक्शन के व्यावसायिक उपयोग किया जाना पाया गया जो कि द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के प्रावधानों का उल्लंघन एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अत: प्रार्थी द्वारा धारा 6(ए) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर जब्त उक्त 01 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर एवं 01 घरेलु गैस सिलेण्डर को राज्यसात् किये जाने की प्रार्थना की गई।

प्रकरण में प्रार्थी विभागीय पेरोकार की एकपक्षीय बहस सुनी गयी। प्रार्थी की ओर से विभागीय पेरोकार श्री मानवेन्द्र प्रवर्तन निरीक्षक ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा वक्त जांच मौके पर बिना कनेक्शन के 01 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर एवं 01 घरेलु गैस सिलेण्डर का प्रतिष्ठान पर भट्टी से लगाकर व्यावसायिक कार्य हेतु उपयोग किया जा रहा था। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी द्वारा मौके पर उक्त 01 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर एवं 01 घरेलु गैस सिलेण्डर का बिना कनेक्शन के व्यावसायिक उपयोग किया जाना पाया जाने से आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 का स्पष्ट रूप से उल्लंघन किया गया है जिसके कारण जब्त उक्त 01 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर एवं 01 घरेलु गैस सिलेण्डर को राज्यसात किये जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया गया।

हमने विभागीय पेरोकार की बहस पर मनन एवं प्रकरण में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अनुसार अप्रार्थी द्वारा उक्त 01 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर एवं 01 घरेलु गैस सिलेण्डर का बिना कनेक्शन के व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा था जो कि द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय व वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है तथा आवश्यक वस्तु

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Lal Yogi
Date: 2024.08.29 16:07:36 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

अधिनियम,1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः प्रार्थी सरकार जरिये प्रवर्तन अधिकारी जिला रसद कार्यालय प्रथम जोधपुर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा जब्तसुदा उक्त 01 (एक) व्यावसायिक गैस सिलेण्डर एवं 01 (एक) घरेलु गैस सिलेण्डर को राज्यसात करने का आदेश दिया जाता है। जिला रसद अधिकारी प्रथम जोधपुर को निर्देशित किया जाता है कि जब्तसुदा 01 (एक) व्यावसायिक गैस सिलेण्डर एवं 01 (एक) घरेलु गैस सिलेण्डर का नियमानुसार निस्तारण किया जाकर राशि राज्य कोष में जमा कराई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील तामिल दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25.06.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रतन लाल योगी)
अपर जिला कलक्टर (द्वितीय),
जोधपुर

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Lal Yogi
Date: 2024.08.29 16:07:36 IST
Reason: SelfAttested